

**तहसील****जनपद हरिद्वार**

उत्तरांचल अनुसूचित जाति के निर्धन एवं जनसहाय व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु वित्तीय सहायत नियमावली के अधीन पुत्रियों की शादी/बीमारी हेतु अनुदान का आवेदन-पत्र

1. आवेदन का नाम .....पिता /पति का नाम.....
2. स्थाई पता ग्राम .....डा0.....जिला हरिद्वार
3. जाति.....आयु.....
4. समस्त स्रोतों से वार्षिक आय .....
5. पुत्री की शादी के लिये:-
  - क. पुत्री का नाम .....
  - ख. पुत्री की आय .....
  - ग. वर का नाम .....
  - घ. वर की आयु .....
  - ङ. शादी हेतु .....
6. रोग का नाम जिसके लिये आर्थिक सहायता अपेक्षित है.....
7. क्या और विधवा पेंशन पा रही है तो प्रमाण पत्र दें .....

प्रमाणित  
फोटो  
लगायें।

प्रार्थी के ह०/अ० नि०

नोट:- कृपया निम्न प्रमाण पत्र संलग्न करें :-

1. अनु० जाति का प्रमाण पत्र
2. मासिक आय प्रमाण पत्र (तहसीलदार से )
3. बीमारी का प्रमाण पत्र (सी० एम० ओ० का )
4. पुत्री एवं वर का आयु प्रमाण पत्र परिवार रजिस्टर की नकल मान्य होगी।  
शहरी ग्रामीण क्षेत्र में 1200/- रुपये वार्षिक की आय एवं जाति का प्रमाण पत्र केवल तहसीलदार की ही मान्य होगा।

विशेष:-

- अ- पेंशन पाने वाली विधवा किसी भी जाति की हो, की केवल एक ही पुत्र की शादी हेतु अनुदान।
- ब- पात्रका की स्थिति में देय होगी।
- स- आवेदन की प्रमाणित फोटो भी आवेदन पत्र के साथ लगायें।